

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक:- BRRDA(HQ)-PMGSY-42/2012-3304 /पटना, दिनांक-21/12/2021
प्रेषक,

संजय दूबे, भा0 प्र0 से0
विशेष सचिव, ग्रा0का0वि0-सह-ACEO, ब्राडा।
सेवा में,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)-
सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना।

विषय: ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार के अधीन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत पथ/पुल के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी नामित करने के संबंध में।
प्रसंग: कार्यपालक अभियंता, ग्रा0का0वि0, कार्य प्रमंडल, शेरघाटी का पत्रांक-2205 अनु0, दिनांक-30.11.2021।


महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रारसंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि ग्रामीण कार्य विभाग अन्तर्गत योजनाओं का क्रियान्वयन संबंधित कार्य प्रमंडल द्वारा की जाती है, जिसके कार्यालय प्रधान कार्यपालक अभियंता होते हैं।


अतः प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत पथों/पुलों का वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता User Agency के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी नामित किये जाते हैं।

अनु0-यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन


20/12/2021

विशेष सचिव, ग्रा0का0वि0-सह-ACEO, ब्राडा
ज्ञापक : BRRDA(HQ)-PMGSY-42/2012-3304 /पटना, दिनांक-21/12/2021
प्रतिलिपि: कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद, बांका-1, इमामगंज, शेरघाटी, जमुई, झांझा, भभुआ, नवादा, डिहरी एवं बगहा-1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


20/12/2021

विशेष सचिव, ग्रा0का0वि0-सह-ACEO, ब्राडा

